

राजस्थान सरकार
राजस्व-~~६~~ गुप्त-~~६४~~ विभाग

प्रेषित:-
११११ समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
११११ समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
११३१ निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

क्रमांक:- प. १११११ राज-६/१३/३

जयपुर, दिनांक:- १०-०४-२०००

-: परिपत्र :-

विषय:- भूमि अर्वाप्त/आवश्यक अर्वाप्त के मामलों में भुगतान की जाने वाली राशि स्रोत पर आयकर की कटौती करने का पत्र ।

भूमि अर्वाप्त के मामलों में मुआवजे का भुगतान करने वाले अधिकारी का यह दायित्व है कि आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ११४-ए के अनुसार भूमि अर्वाप्त के मुआवजे या उसकी बढ़ी हुई राशि या उस देय ब्याज की कुल राशि उस वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये या उससे अधिक की है तो स्रोत पर ही देय राशि पर १०% की दर से आयकर की कटौती आवश्यक रूप से की जानी चाहिए एवं शेष राशि को भुगतान करने के माह से अगले माह की ७ तारीख तक निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करा दी जानी चाहिए ।

आयकर आयुक्त, जयपुर से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आवश्यक निर्देशों के साथ आप अपने विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों/कार्यालयों को जिनके द्वारा भूमि अर्वाप्त पर मुआवजे पर भुगतान किया जाता है, को भिजवाने की व्यवस्था कराएँ ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

शिव कुमार शर्मा
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- आयकर आयुक्त, केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर को उनके पत्रांक २१७३ दिनांक २०-१०-९९ के संदर्भ में सूचनाार्थ प्रेषित है ।

शासन उप सचिव